17-7 25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: माजिद बहस सुनी गई, प्रकरण मे वकील वादी ने अपनी बहस प्रा·पत्र अनुसार निवेदन करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रतिवादी मांगी लाल कि मृत्यु हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान वसीयत नामा से शैतान, सुल्तान सिंह पिता उदयलाल गुर्जर के पक्ष मे वसीयत कर दि गई है। इस लिए प्रा·पत्र स्वीकार कर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे। वकील वादी की एक तरफा बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा·पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न कर पेश नही किया गया है। व वादी ने अपने प्रा·पत्र मे प्रतिवादी मांगी लाल मृतक कि मृत्यु दिनांक का भी कही अंकन नही किया गया है। और न ही विधिक वारिसान के वसीयत नामा की प्रति पेश कि गई है। ऐसी स्थिति मे, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा·पत्र आदेश 22 नि· 04 जा·दी का समय अवधि मे प्रस्तुत नही करने का मानते हुए दावा अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]